न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा

पीठासीन अधिकारी का नाम :– संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
दावा संख्या :– 91/2017
दायर दिनाकं :– 04.07.2017
निर्णय दिनांक :– 07.04.2022

उनवान

1. पूनी देवी पत्नि बद्रीनारायण
2. तीजा देवी पत्नि गंगाधर

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान

(प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा
2. तहसीलदार दौसा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थिति :– श्री योगेश जाकड अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णयः– दिनांकः– 07.04.2022

प्रार्थना–पत्र अ0 धारा 251(क) राज0 टि0ए0

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीयगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि उनकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा नम्बर 157 रकबा 0.88 है0 158 रकबा 1.05 है0 वाके ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा में स्थित है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते है। आराजी खसरा नम्बर 159, 160, 161 वाके ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा राजस्व रिकार्ड मे चरागाह भूमि अंकित है। प्रार्थीगण ने अवगत कराया है कि उनकी उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 157 व 158 मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 159, 160, 161 में से होकर रास्ते के रूप में उपयोग कर रहे। उक्त भूमि खसरा 159, 160, 161 में होकर नजरी नक्शें में दर्शाए अनुसार 15 फीट चौडा रास्ता कायम कर उक्त रास्ते से अप्रार्थी संख्या 1 के अधिकार समाप्त कर उसे राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करने का अनुरोध किया गया।

इस संबंधित में तहसीलदार दौसा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 159, 160, 161 चरागाह भूमि दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 157 व 158 पर आने हेतु खसरा नम्बर 161 से पगडंडी मार्ग से आवागमन करते है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हेतु कोई राजस्व रिकार्ड दर्ज रास्ता नही है। अतः दौसा कुण्डल सडक मार्ग से खसरा नम्बर 161 के अलावा नजदीक कोई वैकल्पिक रास्ता नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने बहस के दौरान अवगत कराया कि प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शे के अनुसार खसरा नम्बर 159 मे से खसरा नम्बर 157 एवं 158 तक 15 फुट चौडा रास्ता कायम किया जावे।

हमने प्रार्थना–पत्र एवं तहसीलदार दौसा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण द्वारा स्वयं की खातेदारी भूमिं में पहुँचने हेतु चरागाह भूमि मे से राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क के अन्तर्गत रास्ता चाहा गया है। उक्त अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत रास्ते का प्रावधान केवल अन्य व्यक्ति की खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में है। चूँकि प्रार्थीगण द्वारा जिस भूमि में से होकर रास्ता चाहा गया है, वह भूमि राजकीय भूमि है। अतः राजकीय भूमि पर उक्त प्रावधान लागू नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य नियमो/परिपत्रों के तहत राहत पाने के लिए स्वतन्त्र रहेगे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखावाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2022.06.24 17:05:09 IST
Reason: SelfAttested